भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1159

मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पंजीकृत स्टार्ट-अप्स

1159. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में पंजीकृत स्टार्टअप्स की कुल संख्या कितनी है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा/सीमा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में स्टार्टअप्स को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता कितनी है तथा उसे सरकारी योजनाओं और निजी वित्तपोषण के बीच किस प्रकार वितरित किया गया है; और

(ग) अस्तित्व और राजस्व सृजन के संदर्भ में स्टार्टअप्स की सफलता दर राज्य-वार कितनी है तथा इस सफलता को निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया गया है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करने के आशय से और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरूआत की।

सा.का.नि. अधिसूचना संख्या 127 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार 1,52,139 कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 तथा 2023 के दौरान, मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है, नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधि का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम

(सीजीएसएस) ताकि स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान की जा सके।

एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए स्थापित किया गया है और यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा प्रचालनरत है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)- पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करती है जो बदले में स्टार्टअप्स में निवेश करती है। एफएफएस के अंतर्गत सहायता प्राप्त एआईएफ को, एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम दो गुना राशि स्टार्टअप्स में निवेश करनी होती है। पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 तथा 2023 में चयनित एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में किए गए निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

एसआईएसएफएस, इन्क्यूबेटर्स के जरिए आरंभिक स्तर के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस 1 अप्रैल, 2021 से कार्यान्वित है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022 तथा 2023 में चयनित इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए अनुमोदित वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध- III** में दिया गया है।

सीजीएसएस को पात्र वित्तीय संस्थानों [सदस्य संस्थान (एमआई)] के जरिए स्टार्टअप्स को समर्थकारी बंधक रहित ऋण प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। सीजीएसएस को राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा प्रचालित किया जाता है और 1 अप्रैल, 2023 से इसका प्रचालन किया गया है। वर्ष 2023 में स्टार्टअप्स के लिए गारंटीकृत ऋण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(ग): नियमित व्यवसायों का आकलन प्रायः प्रचालन के विशिष्ट वर्षों की संख्या में उनकी सफलता या विफलता से किया जाता है, जबकि स्टार्टअप और स्केल-अप (स्थापित स्टार्टअप) का आकलन किसी विशेष चरण में उनकी विफलता या सफलता से अधिक सटीक रूप से किया जाता है, जिससे सभी प्रकार के नए व्यवसायों के आंकड़े को एक साथ रख पाना और किसी भी स्तर पर उनकी सफलता या विफलता की दर का सटीकता से पता लगा पाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार, सरकार द्वारा स्टार्टअप्स की सफलता या विफलता के संबंध में सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1159 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 तथा 2023 के दौरान, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021	2022	2023
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	5	13	10	13
आंध्र प्रदेश	179	235	298	381	586
अरूणाचल प्रदेश	2	0	4	9	17
असम	71	119	190	285	362
बिहार	158	265	390	525	812
चंडीगढ़	41	55	69	81	126
छत्तीसगढ़	166	155	167	237	362
दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	3	5	12	12	11
दिल्ली	1,450	1,817	2,215	2,580	3,161
गोवा	43	67	81	107	98
गुजरात	644	881	1,728	2,282	3,295
हरियाणा	730	830	1,070	1,334	1,742
हिमाचल प्रदेश	31	41	56	120	144
जम्मू और कश्मीर	38	64	131	170	246
झारखंड	89	165	191	239	337
कर्नाटक	1,746	1,776	2,157	2,568	3,036
केरल	669	710	923	1,078	1,296
लद्दाख	0	1	1	5	5
लक्षद्वीप	0	1	0	0	2
मध्य प्रदेश	335	427	562	898	1,267
महाराष्ट्र	2,227	2,736	3,737	4,812	5,816
मणिपुर	6	13	37	31	26
मेघालय	6	0	9	10	18
मिजोरम	1	1	2	6	13
नागालैंड	2	5	7	7	22
ओडिशा	187	280	397	451	620
पुदुचेरी	11	14	17	30	43
पंजाब	99	146	244	294	443
राजस्थान	358	503	623	992	1,445
सिक्किम	2	1	3	2	2
तमिलनाडु	632	772	1,107	1,811	2,816
तेलंगाना	620	819	994	1,381	1,760
त्रिपुरा	7	23	12	27	23
उत्तर प्रदेश	906	1,401	1,981	2,583	3,432

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021	2022	2023
उत्तराखंड	98	114	162	236	271
पश्चिम बंगाल	320	405	692	1,002	1,174
कुल योग	**11,885**	**14,852**	**20,282**	**26,596**	**34,842**

*****

अनुबंध-II

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1159 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, चयनित एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में कुल निवेश सहित पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 तथा 2023 में एफएफएस के तहत चयनित एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में किए गए निवेश (करोड़ रूपए में) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021	2022	2023	चयनित एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में किया गया कुल निवेश (31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	11	36
अरूणाचल प्रदेश	0	0	1	0	0	1
असम	2	0	14	9	2	31
बिहार	4	54	18	9	58	158
चंडीगढ़	0	0	0	0	24	31
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	4	54
दिल्ली	257	296	610	999	500	3043
गोवा	0	0	0	0	129	124
गुजरात	0	0	47	300	198	689
हरियाणा	76	195	276	503	314	1822
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	50
झारखंड	0	0	0	0	0	7
कर्नाटक	651	814	928	1958	880	6517
केरल	7	12	122	7	53	236
मध्य प्रदेश	4	42	61	60	41	177
महाराष्ट्र	354	378	953	1521	711	4825
मणिपुर	0	0	1	5	1	6
मेघालय	0	0	0	1	1	1
नागालैंड	0	0	0	0	0	1
ओडिशा	1	0	2	0	8	6
पुदुचेरी	0	0	0	0	1	1
पंजाब	0	0	12	0	0	63
राजस्थान	10	33	81	5	92	315
तमिलनाडु	174	117	161	344	123	1249
तेलंगाना	21	60	70	113	169	524
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	57	33	105	124	19	463
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	8
पश्चिम बंगाल	6	33	28	14	26	132
कुल योग	**1,624**	**2,067**	**3,491**	**5,974**	**3,366**	**20,572**

*****

अनुबंध-III

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1159 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, चयनित इंक्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए अनुमोदित कुल निधीयन सहित पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022 तथा 2023 में एसआईएसएफएस के तहत चयनित इंक्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए अनुमोदित निधि (करोड़ रूपए में) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023	चयनित इंक्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए कुल अनुमोदित निधीयन (31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	0.04	0.04
आंध्र प्रदेश	-	0.78	3.80	7.58
अरूणाचल प्रदेश	-	0.20	-	0.20
असम	-	0.95	2.29	4.62
बिहार	-	2.66	4.40	7.67
चंडीगढ़	-	0.60	1.20	2.65
छत्तीसगढ़	0.20	0.02	0.94	1.62
दिल्ली	2.24	5.22	14.55	33.96
गोवा	0.90	0.55	0.56	2.61
गुजरात	1.20	5.75	16.77	33.10
हरियाणा	0.70	3.95	7.50	19.65
हिमाचल प्रदेश	0.10	0.25	1.89	2.99
जम्मू और कश्मीर	-	0.10	0.33	2.05
झारखंड	0.50	0.55	0.55	2.80
कर्नाटक	4.07	22.07	28.27	71.92
केरल	0.60	3.87	3.47	9.05
मध्य प्रदेश	0.80	5.45	4.84	16.45
महाराष्ट्र	2.20	16.33	39.20	82.91
मणिपुर	-	0.25	0.05	0.30
मेघालय	-	0.20	-	0.24
मिजोरम	-	-	0.40	0.55
नागालैंड	-	0.25	0.50	3.37
ओडिशा	0.10	2.37	4.68	9.94
पुदुचेरी	-	0.34	0.62	0.97
पंजाब	-	0.42	1.69	6.00
राजस्थान	0.70	2.57	6.35	16.77
सिक्किम	-	0.20	-	0.20
तमिलनाडु	3.03	7.79	14.52	41.35

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023	चयनित इंक्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए कुल अनुमोदित निधीयन (31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार)
तेलंगाना	0.65	9.02	12.51	32.90
उत्तर प्रदेश	2.01	5.89	10.71	30.56
उत्तराखंड	-	0.70	1.40	3.68
पश्चिम बंगाल	0.57	1.26	1.75	5.35
कुल योग	**20.56**	**100.54**	**185.78**	**454.04**

*****

अनुबंध-**IV**

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1159 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, गारंटी प्रदान की गई ऋण की कुल राशि सहित पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2023 में स्टार्टअप्स के लिए गारंटी प्रदान की गई कुल ऋण राशि (करोड़ रूपए में) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023	गारंटी प्रदान की गई कुल ऋण राशि (31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	-	15.00
असम	-	2.52
बिहार	-	0.28
चंडीगढ़	-	0.15
दिल्ली	40.65	51.11
गुजरात	9.5	9.50
हरियाणा	31.25	78.82
जम्मू और कश्मीर	-	14.35
कर्नाटक	35.16	55.24
केरल	10.8	24.80
मध्य प्रदेश	8.8	9.80
महाराष्ट्र	66.01	117.22
राजस्थान	13.5	32.30
तमिलनाडु	13.65	58.70
तेलंगाना	7.3	4.37
उत्तर प्रदेश	26.87	36.28
उत्तराखंड	-	10.00
पश्चिम बंगाल	18	34.80
योग	**281.49**	**555.24**

*****